POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.12.2025

1. नारकोटिक्स सेल व थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा संयुक्त प्रयास से अवैध मादक पदार्थो की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 16.25 ग्राम एम0डी0एम0ए0 (कीमत करीब 1.5 लाख रूपये) व 02 मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **11.12.2025** को **नारकोटिक्स सेल, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा संयुक्त** प्रयास से सेक्टर-60 नोएडा के पास से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले अभियुक्त 1. अभिनव प्रताप 2. करन जोशी को **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से करीब 16.25 ग्राम एम0डी0एम0ए0 जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये व 02 मोबाईल फोन बरामद किये गये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण अभिनव प्रताप व करन जोशी के द्वारा बताया गया कि अपना खर्चा निकालने के लिये अलग-अलग जगहों से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से एम0डी0एम0ए0 मांगवाते है और हम दोनो मिलकर ऑन डिमाण्ड मोबाईल फोन के माध्यम से ग्राहको को सप्लाई करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अभिनव प्रताप पुत्र स्व0 राम प्रताप निवासी निवासी ग्राम सोरखा, सेक्टर-116, नोएडा मूल निवासी ग्राम जगतपुर थाना बिछुमा जिला मैनपुरी उम्र करीब 25 वर्ष
2. करन जोशी पुत्र हरी जोशी निवासी वन्दना इन्कलेव खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

16.25 ग्राम एम0डी0एम0ए0 जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये

02 मोबाईल फोन बरामद

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0-452/2025 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा दो गुना पैसों का लालच देकर धोखाधडी करके लाखों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लक्जरी गाडियां, धोखाधडी/ठगी की गयी नगदी (575000/रुपये) व अन्य फर्जी दस्तावेज व अन्य सामान बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 05.12.2025 को वादिया के द्वारा लिखित सूचना दी गई कि मेरे जीजा विशाल अग्रवाल पिछले दस दिनो से पैसे माँग रहे थे और मुनाफा देकर पैसे वापिस करने की बात कह रहे थे उनकी बात सोनू यादव से हो रही थी और वही पैसे लेकर दो गुना पैसे देने की कह रहा था , फिर मैन पैसा की व्यवस्था करना शुरु किया और मैने अपने जानकार भाई अनित जिन्ह विशाल अग्रवाल भी जानते हैं से मिलकर रूपये 16,50,000/ की व्यवस्था कर ली और मैं और मेरे जीजा जी सारा पैसे लेकर दिनांक 04/12/2025 शाम को घर से निकले। जीजा विशाल अग्रवाल की बात सोनू यादव से हुयी उसने हमें गौर सिटी मॉल के सामने बुलाया। हम लोग गौर सिटी मॉल के पास पहुचें तो वहां सोनू यादव एक लडके के साथ मिला फिर जीजा जी ने उन्हे गाडी मे बिठाया और बताया कि यही लोग हमे पैसे मुनाफा करके देगें और उनके नाम सोनू यादव व छोटू बताया। फिर हम लोग गाडी से सेंच्यूरियन ट्रेस होम्स सोसायटी के टॉवर बी-2 के एक फ्लैट मे पहुँचे जहाँ दो लडके पहले से मौजूद थे। फिर उन चार लडको ने हमारे पैसे ले लिए और हमें दो गुने पैसो से भरा बैग दे दिया। फिर हम लोग सोनू यादव व छोटू के साथ फ्लैट से नीचे आ गए और गाडी से ब्लू स्फायर मॉल के पास पहुचे, जहाँ उन दो लडको सोनू यादव व छोटू को उतार दिया। उतारने के बाद हमने गाडी मे रखा पैसो का बैग चैक किया तो पाया कि नोटो की गड्डी के ऊपर केवल एक असली नोट था और नीचे कागज की गड्डी थी। यह सब देखकर हम लोग वापस उसी फ्लैट पर पहुचें तो पाया कि फ्लैट पर कोई नहीं है। वो लोग हमारे पैसे लेकर जा चुके थे। घटना के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 947/2025 धारा 316(2) बीएनएस दिनांक 05.12.2025 को पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक **11.12.2025** को रूद्रा निर्माणाधीन सोसाइटी सेक्टर 16 बी के पास से अभियुक्तगण 1. चंचल कुमार 2. इंद्रमणि उर्फ राजा ऊर्फ इन्द्र 3. रितेश कुमार उर्फ अंकित 4. शुभम तिवारी 5. नवीन सिंह 6. गौरव गुप्ता को घटना में प्रयुक्त वाहन कार एमजी हैक्टर रजि0नं0-24 बीएच 4047ए, कार निशान मेगनेट रजि0नं0-यूपी 14 ईवाई 6804 व ठगी की नगदी (575000/रुपये) व अन्य फर्जी दस्तावेज, अन्य सामान बरामद करते हुये **गिरफ्तार** किया गया है।

नोट- गिरफ्तारी करने वाली टीम को डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा श्री शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा 25000 रूपये का पुरूस्कार देने की घोषणा की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- यह एक ऐसा सक्रिय गैंग है जो जनता को अधिक धन का लालच देकर नोट बदलने के नाम पर ठगी करते है। इस गिरोह में 6-7 लोग शामिल रहते है सभी का अलग- अलग काम होता है जिसमें दो व्यक्ति ग्राहक को झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते है बाकी लोग फ्लैट पर पहले से मौजूद रहते है। ये लोग ग्राहक से अपना असली नाम छुपाकर मिलते है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग ऐसे व्यक्तियों को टार्गेट करते थे जिनके पास नगदी बहुतायत मात्रा में हो, जिनको अभियुक्तगण एक का दो गुना व तीन गुना करने का दावा करते है। फिर

उनको बताये हुए पते के बाहर से ही साथ में पूर्व से निश्चित फ्लैट पर लाया जाता है जहाँ पर पूर्व से नियोजित कमरे में एक तख्त नुमा चौकी का प्रयोग किया जाता है जिसे बीच से काटकर एक छेद बनाया हुआ है इस तख्त को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ तख्त के पीछे एक दीवार/स्लाडर गेट हो और उस दीवार में भी एक छेद बना दिया जाता है एक व्यक्ति तख्त के ऊपर बैठकर रूपये गिनकर बैग में गड्डिया रखने का काम करता है तथा नोटो की असली गड्डिया चौकी के नीचे बेठे व्यक्ति को पकडा देता है और उससे कागज की गड्डियां पर एक असली नोट लगाकर बेग में रख देता है , जिससे कुर्सी पर सामने बेठे व्यक्ति को लगे कि जो असली नोट गिनी गई है वही बैग में भी रखी गई है। तख्त के सामने कुर्सियों पर ग्राहक को बैठाया जाता है तथा मशीन से नोट गिनकर उनके सामने यह भरोसा दिलाया जाता है कि सारे असली नोट है उन्ही के आस पास दो-तीन लोग ध्यान भटकाने का कार्य करते है ग्राहक को बैग में नोटो की गड्डियां दिखाई जाती है जबकि केवल ऊपर की परत पर ही असली नोट होते है नीचे सारे कागज के नोट के साइज की ही गड्डियां होती है। एक व्यक्ति दीवार के पीछे होता है जो असली नोट को तख्त की नीचे से लेकर वापस गिनने के लिए तख्त पर बेठे व्यक्ति को देता है। जब बैग में सारी नकली गड्डिया भर दी जाती है तब ग्राहक को अपने सामने गिनने नहीं दिया जाता है और बैग को खुद बन्द करके लॉक करके दो व्यक्ति ग्राहक के साथ गाडी में बैठकर दूर तक छोडकर आते है। जिससे बाकी लोगो को फ्लैट से कैश लेकर भागने का मौका मिल जाये। उसके बाद यह लोग दूर जिले से बाहर किसी होटल या पूर्व नियोजित स्थान पर पैसे आपस में बांट लेते है। अभियुक्त के द्वारा पूर्व में सरिता बिहार दिल्ली में भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दे चुके है। अभियुक्त इन्द्रमणि व चंचल पूर्व से थाना विजयनगर गाजियाबाद के मु0अ0सं0 455/2025 में वांछित चल रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शुभम तिवारी पुत्र बृजनाथ तिवारी निवासी रॉयल कोट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर, मूलनिवासी पियरी थाना मुगरा बादशाहपुर जौनपुर, उ.प्र.उम्र 28 वर्ष। शिक्षा पॉलीटेक्निक। व्यवसाय कस्टम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, चीन में ऑफिस है।

2. नवीन सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह निवासी रॉयल कोर्ट थाना-बिसरख गौतमबुद्धनगर मूलनिवासी करसरी गौतम थाना निरंजनपुर जिला बस्ती उ.प्र.

उम्र 21 वर्ष। शिक्षा- बीबीए

3. इंद्रमणि पुत्र मनोज चौरसिया निवासी निराला एस्पायर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर मूलनिवासी भैरोपुर थाना डोरीगंज सारन बिहार उम्र 24 वर्ष

। शिक्षा-इंजीनियर (आईटी)

4. गौरव गुप्ता पुत्र केदारनाथ निवासी निराला एस्पायर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 44 वर्ष। शिक्षा- एम कॉम

5. रितेश पुत्र अनुज निवासी निराला एस्पायर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 22 वर्ष मूल निवासी दुधेला गाछी थाना सोनपुर सारन बिहार।

शिक्षा 12 th

6. चंचल पुत्र तरुण मिश्रा निवासी पहेतीया थाना हाजीपुर वैशाली बिहार हाल निवासी निराला एस्पायर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष

शिक्षा- डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल

आपराधिक इतिहास--

- **इंद्रमणि उर्फ राजा ऊर्फ इन्द्र पुत्र मनोज कुमार चौरसिया--**

1. मु0अ0सं0 434/2025 धारा 420/406/34 भादवि थाना नगर जिला औरंगाबाद बिहार
2. मु0अ0सं0 455/2025 धारा 318(4),336(3),338,340(2),3(5),61 बीएनएस थाना विजयनगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0-947/2025 धारा-316(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **चंचल कुमार पुत्र तरुन कुमार मिश्रा--**

1. मु0अ0सं0 455/2025 धारा 318(4),336(3),338,340(2),3(5),61 बीएनएस थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0-947/2025 धारा-316(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **रितेश कुमार उर्फ अंकित पुत्र अनुज कुमार सिंह--**

1. मु0अ0सं0-947/2025 धारा-316(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **शुभम तिवारी पुत्र बृजनाथ तिवारी--**

1. मु0अ0सं0-947/2025 धारा-316(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **नवीन सिंह पुत्र शत्रुधन सिंह--**

1. मु0अ0सं0-947/2025 धारा-316(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **गौरव गुप्ता पुत्र केदार नाथ गुप्ता--**

1. मु0अ0सं0-947/2025 धारा-316(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. कुल 575000/- रुपये ,
2. एक नोट गिनने की मशीन,
3. एक ग्राइन्डर,
4. छः मोबाइल फोन,
5. तीन ट्रॉली बैग नोटनुमा कागज की गड्डी से भरे हुए
6. पॉच फर्जी/कूटरचित आधार कार्ड,
7. दो इंटरनेट डोंगल
8. घटना में प्रयुक्त कार एमजी हैक्टर रजि0नं0- 24बीएच4047ए , कार निशान मेगनेट रजि0नं0- यूपी 14 ई वाई 6804

3. थाना फेस-1 नोएडा एवं सर्विलांस टीम नोएडा, गौतमबुद्धनगर की संयुक्त कार्रवाई में थाना क्षेत्र फेस-1 में संचालित एक कॉल सेंटर का अनावरण किया गया। यह कॉल सेंटर भारतीय, पाकिस्तानी और अन्य देशों के प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को अवैध रूप से अपने निजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहा था और सब्सक्रिप्शन को अल्प अवधि में बंद कर बार-बार पैसे मांगकर ठगी कर रहा था। कार्रवाई में 06 अपराधियों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **11.12.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस व सर्विलांस टीम नोएडा की संयुक्त** कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 06 साइबर अभियुक्तगण 1. तनिष्का पुत्री सुरेश कुमार वर्मा, 2. अनिल बघेल पुत्र कृष्ण कुमार, 3. मनीष कुमार त्रिपाठी पुत्र छविनाथ त्रिपाठी, 4. गौरव पुत्र पप्पन बघेल, 5. राधा बल्लभ पुत्र गणेश दास, 6. योगेश बघेल पुत्र प्रेमकान्त बघेल को सेक्टर-2 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 20 मोबाइल फोन, 05 CPU, 05 मॉनिटर, 01 लैपटॉप, 06 कीबोर्ड, 06 माउस, 06 हेडफोन, 01 IPTV बॉक्स, 02 एयरटेल एक्स्ट्रीम फाइबर राउटर व 03 मोहरे बरामद की गई है ।

अपराध करने का तरीका-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को भारतीय, पाकिस्तानी व अन्य देशों के ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन कम दामों में अवैध रूप से उपलब्ध कराते हैं। अभियुक्तगण WEBBIZ SERVICES LLC कंपनी के नाम पर विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के विभिन्न सब्सक्रिप्शन चैनलों के कंटेंट को बिना किसी लाइसेंस के कैप्चर करते हैं और उसकी कॉपी को प्रसारित करते हैं, जैसे कि उपभोक्ता को वैध रूप से सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा हो। कुछ समय बाद अभियुक्तगण सब्सक्रिप्शन बंद कर देते हैं और रिनुअल के नाम पर उपभोक्ता से बार-बार पैसों की मांग करते हैं। हर सब्सक्रिप्शन को 100 डॉलर से 300 डॉलर तक में बिक्री करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. तनिष्का पुत्री श्री सुरेश कुमार वर्मा, निवासी पॉकेट-1, केन्द्रीय विहार, सेक्टर-82, नोएडा, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र 24 वर्ष।
2. अनिल बघेल पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी वृंदावन, मथुरा वर्तमान पता सुपरटेक केप्टाउन, सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 28 वर्ष।
3. मनीष कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री छविनाथ त्रिपाठी, निवासी भोगिया, थाना मसरथ, छपरा (सारन) बिहार वर्तमान पता सेक्टर-20 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 32 वर्ष।
4. गौरव पुत्र पप्पन बघेल, निवासी कस्बा व थाना वृंदावन, मथुरा वर्तमान पता अशोक नगर दिल्ली, उम्र 23 वर्ष।
5. राधा बल्लभ पुत्र गणेश दास, निवासी गोविन्द बाग, वृन्दावन, मथुरा वर्तमान पता सुपरटेक केप्टाउन, सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 30 वर्ष।
6. योगेश बघेल पुत्र प्रेमकान्त बघेल, निवासी माधव विलास कालोनी, कस्बा व थाना वृंदावन, मथुरा वर्तमान पता अशोक नगर, दिल्ली, उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 525/2025 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) BNS, तथा 66, 66D IT Act एवं 42(3) Indian Telecommunication Act 2023, थाना फेस-1 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 20 मोबाइल फोन, 05 कम्प्यूटर CPU, 05 कम्प्यूटर मॉनिटर, 01 लैपटॉप
2. 06 कीबोर्ड, 06 माउस, 06 हेडफोन
3. 01 IPTV बॉक्स, 02 एयरटेल एक्स्ट्रीम फाइबर राउटर
4. 03 मोहरे

नोट – साइबर जागरूकता सुझाव-

1. “कलर प्रेडिक्शन”, “रेड-ग्रीन बेटिंग” या “पैसे डबल” जैसे कोई भी ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग ऐप पूरी तरह फर्जी होते हैं।
2. टेलीग्राम, व्हाट्सऐप ग्रुप या किसी भी वेबसाइट के संदिग्ध लिंक पर कभी पैसे न लगाएँ।
3. साइबर अपराध से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
4. अपना आधार नंबर, पैन कार्ड या बैंक खाता विवरण किसी अजनबी व्यक्ति के साथ कभी साझा न करें।